रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 743] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 2, 2015/अग्रहायण 11, 1937
No. 743] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2015/ AGRAHAYANA 11, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 2 दिसंबर, 2015

सं.फेमा. 358/2015-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (संशोधन), विनियमावली 2015

सा.का.नि. 920 (अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली,2000 (3 मई 2000 अधिसूचना सं. फेमा.3/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना)(संशोधन)विनियमावली,2015 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुसूची-I में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 अधिसूचना सं. फेमा.3/2000-आरबी) की अनुसूची-I में पैराग्राफ 3 के बाद, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात :-

4. बशर्ते कि इन विनियमों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से, समुद्रपार से उधार लेने के संबंध में, चाहे वह विदेशी मुद्रा में हो अथवा भारतीय रुपये में, इस अनुसूची के उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 3 में सूचीबद्ध विभिन्न मानकों के संबंध में, स्वचालित मार्ग से, किसी अन्य उपबंध अथवा परंतुक अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य मानक अथवा तारीख जिससे कोई अथवा सभी मौजूदा परंतुक समाप्त होंगे, ऐसे उधार लेने के लिए पात्र उधारकर्ताओं, समुद्रपारीय उधारदाताओं / निवेशकों, ऐसे उधार के प्रयोजनों के जोड़ने/ हटाने के लिए, राशि, परिपक्वता और समग्र लागत में परिवर्तन, प्रतिभूति, पूर्व-अदायगी, बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम

राशि की पार्किंग संबंधी मानकों, ऋण, पुनर्वित्तपोषण, ब्याज के भुगतान, आदि की रिपोर्टिंग और आहरण के संबंध में विनिर्देशन कर सकेगा।

3. अनुसूची-II में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली**,** 2000 (3 मई 2000 अधिसूचना सं. फेमा.3/2000-आरबी) की अनुसूची-II में पैराग्राफ 5 के बाद, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात :-

6. बशर्ते कि इन विनियमों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से, समुद्रपार से उधार लेने के संबंध में, चाहे वह विदेशी मुद्रा में हो अथवा भारतीय रुपये में, इस अनुसूची के उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 में सूचीबद्ध विभिन्न मानकों के संबंध में, अनुमोदन मार्ग से, किसी अन्य उपबंध अथवा परंतुक अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य मानक अथवा तारीख जिससे कोई अथवा सभी मौजूदा परंतुक समाप्त होंगे, ऐसे उधार लेने के लिए पात्र उधारकर्ताओं, समुद्रपारीय उधारदाताओं / निवेशकों, ऐसे उधार के प्रयोजनों के जोड़ने/ हटाने के लिए, राशि, परिपक्वता और समग्र लागत में परिवर्तन, प्रतिभूति, पूर्व-अदायगी, बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि की पार्किंग संबंधी मानकों, ऋण, पुनर्वित्तपोषण, ब्याज के भुगतान आदि की रिपोर्टिंग और आहरण के संबंध में विनिर्देशन कर सकेगा।

[फा. सं. 1/30/ईएम/2015]

बी.पी.कानूनगो, प्रधान मुख्यमहाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:

मूल विनियमावली 5 मई 2000 को सा.का.नि. सं.386 (अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:

दिनांक 25 अगस्त 2000 सा.का.नि. सं.674(अ),

दिनांक 8 जुलाई 2002 सा.का.नि. सं.476 (अ),

दिनांक 31 दिसंबर 2002 सा.का.नि. सं.854(अ),

दिनांक 9 जुलाई 2003 सा.का.नि. सं.531(अ),

दिनांक 9 जुलाई 2003 सा.का.नि. सं.533(अ),

दिनांक 23 मार्च 2004 सा.का.नि. सं.208(अ),

दिनांक 22 दिसंबर 2004 सा.का.नि. सं.825(अ),

दिनांक 9 फरवरी 2005 सा.का.नि. सं.60(अ),

दिनांक 22 दिसंबर 2005 सा.का.नि. सं.739(अ),

दिनांक 16 अक्तूबर 2007 सा.का.नि. सं.663(अ),

दिनांक 30 जनवरी 2009 सा.का.नि. सं.61(अ),

दिनांक 24 जुलाई 2009 सा.का.नि. सं.547(अ),

दिनांक 23 नवंबर 2009 सा.का.नि. सं.836(अ),

दिनांक 03 अगस्त 2012 सा.का.नि. सं.610(अ),

दिनांक 17 नवंबर 2012 सा.का.नि. सं. 832(अ),

दिनांक 11 दिसंबर 2012 सा.का.नि. सं. 886(अ),

दिनांक 21 दिसंबर 2012 सा.का.नि. सं. 916(अ),

दिनांक 26 फरवरी 2013 सा.का.नि. सं. 125(अ),

दिनांक 20 जून 2013 सा.का.नि. सं. 384(अ),

दिनांक 12 सितम्बर 2013 सा.का.नि. सं.627(अ),

दिनांक 06 सितम्बर 2013 सा.का.नि. सं.595(अ),और

दिनांक 1 अक्तूबर 2013 सा.का.नि. सं.668(अ)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd December, 2015

No. FEMA. 358/2015-RB

Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Amendment) Regulations, 2015

G.S.R. 920(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 3/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:—

1. Short Title & Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Amendment) Regulations, 2015.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette

2. Amendment of the Schedule I

In the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 3/2000-RB dated 3rd May 2000) in Schedule I, after paragraph 3, the following shall be inserted, namely:-

4. Provided that under these Regulations, the Reserve Bank may, in consultation with the Government of India, prescribe for the automatic route, any provision or proviso regarding various parameters listed in paragraphs 1 to 3 above of this Schedule or any other parameter as prescribed by the Reserve Bank and also prescribe the date from which any or all of the existing proviso will cease to exist, in respect of borrowings from overseas, whether in foreign currency or Indian Rupees, such as addition / deletion of borrowers eligible to raise such borrowings, overseas lenders / investors, purposes of such borrowings, change in amount, maturity and all-in-cost, norms regarding security, pre-payment, parking of ECB proceeds, reporting and drawal of loan, refinancing, debt servicing, etc.

3. Amendment to the Schedule II

In the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 3/2000-RB dated 3rd May 2000) in Schedule I, after paragraph 5, the following shall be inserted, namely:-

6. Provided that under these Regulations, the Reserve Bank may, in consultation with the Government of India, prescribe for the approval route, any provision or proviso regarding various parameters listed in paragraphs 1 to 5 above of this Schedule or any other parameter as prescribed by the Reserve Bank and also prescribe the date from which any or all of the existing provisions will cease to exist, in respect of borrowings from overseas, whether in foreign currency or Indian Rupees, such as addition / deletion of borrowers eligible to raise such borrowings, overseas lenders / investors, purposes of such borrowings, change in amount, maturity and all-in-cost, norms regarding security, pre-payment, parking of ECB proceeds, reporting and drawal of loan, refinancing, debt servicing, etc.

[F. No. 1/30/EM/2015]

B.P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.386 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide:

G.S.R.No.674 (E) dated August 25, 2000
G.S.R.No.476 (E) dated July 8, 2002
G.S.R.No.854 (E) dated December 31, 2002
G.S.R.No.531 (E) dated July 9, 2003
G.S.R.No.533 (E) dated July 9, 2003
G.S.R.No.208 (E) dated March 23, 2004
G.S.R.No.825 (E) dated December 22, 2004
G.S.R.No.60 (E) dated February 9, 2005
G.S.R.No.739 (E) dated December 22, 2005
G.S.R.No.663 (E) dated October 16, 2007

G.S.R.No.61 (E) dated January 30, 2009
G.S.R.No.547 (E) dated July 24, 2009
G.S.R.No.836 (E) dated November 23, 2009
G.S.R.No.610 (E) dated August 03, 2012
G.S.R.No.832 (E) dated November 17, 2012
G.S.R.No.886 (E) dated December 11, 2012
G.S.R.No.916 (E) dated December 21, 2012
G.S.R.No.125 (E) dated February 26, 2013
G.S.R.No.384 (E) dated June 20, 2013
G.S.R.No.627 (E) dated September 12, 2013
G.S.R.No.595 (E) dated September 06, 2013
G.S.R.No.668 (E) dated October 1, 2013

अधिसूचना

मुंबई, 2 दिसंबर, 2015

सं.फेमा. 359/2015-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन), विनियमावली 2015

सा.का.नि. 921(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली**,** 2004 (7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/2004-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 21 (2) (ii) में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/2004-आरबी) में, विनियम 21 (2) (ii) के बाद निम्नलिखित परंतुक अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात :-

"बशर्ते कि इन विनियमों के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्डों (FCCBs) के लिए स्वचालित के साथ-साथ अनुमोदन मार्ग, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्डों के निर्गम के लिए किसी उपबंध अथवा परंतुक में परिवर्तन कर सकता है / के संबंध में विनिर्देशन कर सकता है।

3. विनियम 21 (2) (iii) में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/2004-आरबी) में, विनियम 21 (2) (iii) के बाद निम्नलिखित परंतुक अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात :-

"बशर्ते कि इन विनियमों के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से, विदेशी मुद्रा विनिमय बॉन्डों (FCEBs) के निर्गम के लिए किसी उपबंध अथवा परंतुक में परिवर्तन कर सकता है / के संबंध में विनिर्देशन कर सकता है।

[फा. सं. 1/30/ईएम/2015]

बी.पी.कानूनगो, प्रधान मुख्यमहाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:

मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 19 नवंबर 2004 के सा.का.नि. सं. 757(अ) द्वारा प्रकाशित और तदुपरांत निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई थी :-

सा.का.नि. सं.220 (अ) दिनांक अप्रैल 7, 2005,

सा.का.नि. सं.337 (अ) दिनांक मई 27, 2005,

सा.का.नि. सं.552 (अ) दिनांक अगस्त 31, 2005,

सा.का.नि. सं.535 (अ) दिनांक सितंबर 6, 2006,

सा.का.नि. सं 13 (अ) दिनांक जनवरी 5, 2008,

सा.का.नि. सं.209 (अ) दिनांक मार्च 25, 2008,

सा.का.नि. सं 676 (अ) दिनांक सितंबर 24, 2008,

सा.का.नि. सं 756 (अ) दिनांक अक्तूबर 31, 2008,

सा.का.नि. सं 108 (अ) दिनांक फरवरी 20, 2009,

सा.का.नि. सं.301(अ) दिनांक मई 1, 2009,

सा.का.नि. सं.441(अ) दिनांक जून 23, 2009,

सा.का.नि. सं.609(अ) दिनांक अगस्त 28, 2009,

सा.का.नि. सं.607(अ) दिनांक अगस्त 3, 2012,

सा.का.नि. सं.609(अ) दिनांक अगस्त 3, 2012,

सा.का.नि. सं.947(अ) दिनांक दिसंबर 31, 2012,

सा.का.नि. सं.345(अ) दिनांक मई 29, 2013,

सा.का.नि. सं.516(अ) दिनांक जुलाई 30, 2013,

सा.का.नि. सं.529(अ) दिनांक अगस्त 05, 2013,

सा.का.नि. सं.552(अ) दिनांक अगस्त 14, 2013

सा.का.नि. सं.323(अ) दिनांक मई 07, 2014

सा.का.नि. सं.489(अ) दिनांक जुलाई 11, 2014

सा.का.नि. सं. 828(अ) दिनांक नवम्बर 21, 2014

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd December, 2015

No. FEMA. 359/2015-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2015

G.S.R. 921(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA. 120/2004-RB dated July 7, 2004) namely:—

1. Short Title & Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2015.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette

2. Amendment of the Regulation 21 (2) (ii)

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA. 120/2004-RB dated July 7, 2004), after Regulation 21 (2) (ii), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that under these Regulations, the Reserve Bank may, in consultation with the Government of India,change / prescribe for the automatic as well as the approval route of FCCBs, any provision or proviso for issuance of FCCBs.

3. Amendment to the Regulation 21 (2) (iii)

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA.120/2004-RB dated July 7, 2004), after Regulation 21 (2) (iii), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that under these Regulations, the Reserve Bank may, in consultation with the Government of India, change / prescribe any provision or proviso for issuance of FCEBs.

[F. No. 1/30/EM/2015]

B.P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

Foot Note:

The Principal Regulations were published in the Official Gazette of GOI vide G.S.R. No. 757(E) dated November 19, 2004 – in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide:-

G.S.R. No. 220 (E) dated April 7, 2005,
G.S.R. No. 337 (E) dated May 27, 2005,
G.S.R. No. 552 (E) dated August 31, 2005,
G.S.R. No. 535 (E) dated September 6, 2006,
G.S.R. No.13 (E) dated January 5, 2008,
G.S.R. No. 209(E) dated March 25, 2008,
G.S.R. No.676 (E) dated September 24, 2008,
G.S.R. No.756 (E) dated October 31, 2008,
G.S.R. No.108 (E) dated February 20, 2009,
G.S.R. No. 301(E) dated May 1, 2009,
G.S.R. No. 441(E) dated June 23, 2009,
G.S.R. No. 609(E) dated August 28, 2009,
G.S.R. No. 607(E) dated August 3, 2012,
G.S.R. No. 609(E) dated August 3, 2012,
G.S.R. No. 947(E) dated December 31, 2012,
G.S.R. No. 345(E) dated May 29, 2013,
G.S.R. No. 516(E) dated July 30, 2013,
G.S.R. No. 529(E) dated August 05, 2013,
G.S.R. No. 552(E) dated August 14, 2013,
G.S.R. No. 323(E) dated May 07, 2014 and
G.S.R. No. 489(E) dated July 11, 2014.
G.S.R. No. 828(E) dated November 21, 2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.